क्रम–संख्या–83

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 8 मई, 2012

बैशाख 18, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या–13/2/91-टी0सी0–का-1-2012

लखनऊ, 08 मई, 2012

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–15

संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2) यह 17 जून, 1995 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

नियम–8–क का निकाला जाना

2–उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में नियम–8–क निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.-13/2/91-T.C.-ka-1-2012, dated May 8, 2012:

No.13/2/91-T.C.-ka-1-2012

Dated Lucknow, May 8 ,2012

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991 :

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS SENIORITY

(FOURTH AMENDMENT) RULES, 2012

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Seniority (Fourth Amendment) Rules, 2012.

2 (2) They shall be deemed to have come into force on June, 17, 1995.

Omission of rule 8-A

2. In the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, rule 8-A shall be *omitted.*

By order,

RAJIV KUMAR,

Pramukh Sachiv.